लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3498
उत्तर देने की तारीखः 10.12.2019

एससी और ओबीसी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

3498. श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्वैच्छिक संगठनों और कर्नाटक राज्य सरकार से अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में कौशल विकास के माध्यम से सुधार करने हेतु वित्तीय सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और श्रेणी-वार लाभार्थियों की संख्या क्या है; और

(ग) इन राज्यों मे अन्य राज्यों की तुलना में ऐसे कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए एससी और ओबीसी व्यक्तियों की संख्या क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) : जी, हां। कर्नाटक राज्य से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान 50.00 करोड़ रुपये जारी करने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीएसपी हेतु एससीए) की योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव भेजा था। तथापि, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान जारी निधियों के लिए निधि उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त अनुदान जारी नहीं किया जा सका था।

(ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निधियां जारी करने के संबंध में 'नवज्योति सेवा संघ (रजि.)' गोपालपुरा, बंगलौर-560023 से एक प्रस्ताव हुआ था। एनएसकेएफडीसी द्वारा इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है, क्योंकि एनएसकेएफडीसी विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत अपनी चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अपने लक्षित समूह (सफाई कर्मचारी (कूड़ा बीनने वालों सहित)/मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों) के लिए विभिन्न आय जन्य गतिविधियों हेतु रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के माध्यम से सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों (टीआई) और क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा आयोजित तकनीकी और उद्यमिता कौशल पाठ्यक्रमों के उन्नयन के लिए सामान्य मानदंडों के अनुरूप लक्ष्य समूहों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है, जो आगे निगम से सम्बद्ध विभिन्न प्रशिक्षण साझेदारों, जिनमें एनजीओ/वीओ शामिल हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आबंटित करता है।

(ख) और (ग) : कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या और वर्ष-वार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले प्रशिक्षण संस्थान निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1.	2014-15	270
2.	2015-16	500
3.	2016-17	706
4.	2017-18	339
5.	2019-20	559

******